

मुकेश बनाम आशा व अन्य
प्र0सं0-: 55 / 2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-14 / 07 / 2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमंद
(पीठारीन अधिकारी:- अर्चना चौधरी , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 55 / 2024 (रे0वाद)

दायर दिनांक :- 19 / 07 / 2024

निर्णय दिनांक :- 14 / 07 / 2025

अनवान

1. मुकेश फुलवारी पुत्र मिश्रीलाल जाति रेगर निवासी डाक बंगला के पास,
टॉडगढ़ मेडिया जिला ब्यावर (राज0) वादी

बनाम

1. आशा कुमारी पुत्री पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
2. ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
3. कपिलदेव पुत्र पुखराज नाबालिग संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
4. चेतन कुमार पुत्र पुखराज नाबालिग संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
5. बसन्ता कुमारी पुत्री पुखराज नाबालिग संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
6. लक्ष्मीदेवी पत्नी पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
7. प्रियंकादेवी पुत्री पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
8. सरोज देवी पुत्री पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
9. माना पुत्र सींगा जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

प्रतिवादीगण



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमंद

मुकेश बनाम आशा व अन्य
प्र०सं०-: 55 / 2024(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-14 / 07 / 2025

उपरिस्थित:-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से - श्री राजकुमार सालवी, अधिवक्ता।


वाद बाबत् 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 09 की सामलाती खातेदारी भूमि ग्राम समिति पटवार मण्डल ताल भूअभि.नि. क्षेत्र लसानी तहसील देवग जिला राजसमन्द के खाता संख्या 15 आराजी संख्या 177, 178 कुल किता 02 कुल रकबा 1. 8000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 से 09 का हिस्सा भूमि माफिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार दर्ज है। वादी का वादपत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित भूमि में 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 से 09 का हिस्सा माफिक जमाबंदी अनुसार दर्ज है जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	मुकेश फुलवारी पुत्र मिश्रीलाल जाति रेगर निवासी डाक बंगला के पास टॉडगढ़ मेडिया	178/2	0.4500	बीड।	1.35
	योग	किता-01	0.4500		1.35
2.	1. ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम हिस्सा 1/3 जाति बलाई	177	0.7500	बारानी।।	3.00
	2. माना पुत्र सीगा हिस्सा 1/3 जाति बलाई	178/1	0.3000	बीड।	0.90
	3. आशा कुमारी पुत्री पुखराज हिस्सा	178/3	0.3000	बीड।	0.90




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मुकेश बनाम आशा व अन्य
प्र0सं0-: 55 / 2024(रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-14 / 07 / 2025

1/21 जाति बलाई				
4. ना.बा. कपिलदेव पुत्र पुखराज संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
5. ना.बा. चेतन कुमार पुत्र पुखराज संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
6. प्रियंका देवी पुत्री पुखराज हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
7. ना.बा. बसन्ता कुमारी पुत्री पुखराज संरक्षक माता लक्ष्मीदेव हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
8. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 पुखराज हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
9. सरोजदेवी पुत्री पुखराज हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
योग	किता-03	1.3500		4.80

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना कौशिक A.S.)
सहायक कलेक्टर, देवागढ़
जिला राजसमन्द

मुकेश बनाम आशा व अन्य
प्र०सं०—: 55/2024(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-14/07/2025
अन्तिम डिक्री

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला

राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी:- अर्चना चौधरी, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 55/2024

अनवान

1. मुकेश फुलवारी पुत्र मिश्रीलाल जाति रेगर निवासी डाक बंगला के पास,
टॉडगढ़ मेडिया जिला ब्यावर (राज०)

वादी

बनाम

- 1 आशा कुमारी पुत्री पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
- 2 ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
- 3 कपिलदेव पुत्र पुखराज नाबालिग संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
- 4 चेतन कुमार पुत्र पुखराज नाबालिग संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
- 6 बसन्ता कुमारी पुत्री पुखराज नाबालिग संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
- 7 लक्ष्मीदेवी पत्नी पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
- 8 प्रियंकादेवी पुत्री पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
- 9 सरोज देवी पुत्री पुखराज जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद



(A)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमंद

मुकेश बनाम आशा व अन्य
प्र०सं०-: 55 / 2024 (रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-14 / 07 / 2025

10. माना पुत्र सींगा जाति बलाई निवासी बरार, मजरा तलाई तहसील भीम जिला राजसमंद
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से - श्री राजकुमार रालवी, अधिवक्ता।

में इस आशय दिनांक 14/07/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 09 की सामलाती खातेदारी भूमि ग्राम समिति पटवार मण्डल ताल भूअभि.नि. क्षेत्र लसानी तहसील देवग जिला राजसमन्द के खाता संख्या 15 आराजी संख्या 177, 178 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 से 09 का हिस्सा भूमि माफिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार दर्ज है। वादी का वादपत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित भूमि में 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 से 09 का हिस्सा माफिक जमाबंदी अनुसार दर्ज है जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	मुकेश फुलवारी पुत्र मिश्रीलाल जाति रेगर निवासी डाक बंगला के पास टोंडगढ़ मेडिया	178/2	0.4500	बीड।	1.35
	योग	किता-01	0.4500		1.35



A
कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मुकेश बनाम आशा व अन्य
प्र०सं०-: 55 / 2024(रोवाद)
निर्णय दिनांक:-14 / 07 / 2025

2.	1. ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम हिस्सा 1/3 जाति बलाई	177 178/1	0.7500 0.3000	वाराणी।। बीड।	3.00 0.90
	2. माना पुत्र सीगा हिस्सा 1/3 जाति बलाई	178/3	0.3000	बीड।	0.90
	3. आशा कुमारी पुत्री पुखराज हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
	4. ना.बा. कपिलदेव पुत्र पुखराज संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
	5. ना.बा. चेतन कुमार पुत्र पुखराज संरक्षक माता लक्ष्मीदेवी हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
	6. प्रियंका देवी पुत्री पुखराज हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
	7. ना.बा. बसन्ता कुमारी पुत्री पुखराज संरक्षक माता लक्ष्मीदेव हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
	8. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व० पुखराज हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
	9. सरोजदेवी पुत्री पुखराज हिस्सा 1/21 जाति बलाई				
	योग	किता-03	1.3500		4.80

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना शर्मा, A.S.)
सहायक कलक्टर, देवागढ़, जिला राजसमन्द
जिला राजसमन्द